"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2023 — आषाढ़ 28, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 28, 1945)

क्रमांक – 7382/वि.स./विधान/2023. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) जो बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 13 सन् 2023)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये।

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(एक) खण्ड (11) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(11–क) **"ई–स्टाम्प अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प"** से अभिप्रेत है, स्टाम्प शुल्क के भुगतान को निर्दिष्ट करने के लिए सृजित कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजीटल रिकार्ड अथवा कागज पर उसकी छाप;"

(दो) खण्ड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(12–क) **"परिबद्ध"** से अभिप्रेत है, लिखत को, इस संदर्भ में उस पर किए गए पृष्ठांकन के साथ, लोक अधिकारी की अभिरक्षा में लेना;"

(तीन) खण्ड (16–क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(16–ख) **"बाजार मूल्य"** से किसी ऐसी सम्पत्ति, जो किसी लिखत की विषयवस्तु है, के सबंध में अभिप्रेत है, वह मूल्य, जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित रीति में इस हेतु सशक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो, जो ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख को, यदि खुले बाजार में विक्रय किया जाता, तो उस संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, अथवा प्रतिफल, जो लिखत में उपदर्शित हो, जो भी लागू हो;

"(16–ग) **"बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत"** से अभिप्रेत है, राज्य में विभिन्न ग्रामों, निवेश क्षेत्रों, नगरपालिकाओं, निगमों एवं पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित लिखत पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्यों की सूची;"

(चार) खण्ड (26) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(26) **"स्टाम्प"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐजेंसी या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, मुद्रा या पृष्ठांकन और इसमें आसंजक अथवा छापित मुद्रा अथवा ई–स्टाम्प या डिजीटल रूप से सृजित स्टाम्प सम्मिलित है।"

धारा 35 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 35 के परन्तुक में,–

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) कोई ऐसी लिखत, उस शुल्क के, जिससे कि वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम के साथ–साथ स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से, 2% शास्ति का भुगतान कर दिये जाने पर, साक्ष्य में ग्राह्य होगी :

परन्तु किसी भी मामले में, इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि, वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी;"

(दो) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(घ) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग–घ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने से निवारित नहीं करेगी।;"

धारा 40 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 40 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ख) यदि, जांच करने के पश्चात, उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत, शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम

के साथ स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से, 2% शास्ति का भुगतान किया जाये तथा उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है। यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो :

परन्तु किसी भी मामले में, इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि, वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जब ऐसी लिखत, केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह धारा 13 या 14 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब कलेक्टर, यदि वह ठीक समझे, इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति से छूट दे सकेगा।"

6. मूल अधिनियम की धारा 45 की उप–धारा (1) का लोप किया जाये। **धारा 45 का संशोधन.**

7. **मूल अधिनियम की धारा 47–क में,–** **धारा 47–क का संशोधन.**

(एक) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(2) उप–धारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, जांच करने के पश्चात्, उस संपति के, जो कि ऐसे लिखत की विषय–वस्तु है, बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण करेगा।

यदि ऐसी लिखत, सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क

को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम के साथ–साथ स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए, लिखत के निष्पादन की तारीख से, 2% शास्ति का भुगतान किया जाये। यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो :

परन्तु किसी भी मामले में, इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि, वसूल किये जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी।''

(दो) उप–धारा (3) में, शब्द ''यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण'' के स्थान पर, शब्द ''यथापूर्वोक्त शुल्क के साथ साथ शास्ति का अवधारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(4) उप–धारा (2) या उप–धारा (3) के अधीन कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, विहित रीति में, संभाग के आयुक्त को अथवा राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को, कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अपील, तब तक ग्राह्य नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति, कलेक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि का कम से कम 25% जमा नहीं कर देता। ऐसी राशि, अपीलीय अधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि के विरूद्ध समायोज्य अथवा वापसी योग्य होगी।''

8. मूल अधिनियम की धारा 56 की उप–धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में,– धारा 56 का संशोधन.

(एक) खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, अर्धविराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(तीन) तब तक ग्रहण नही किया जाएगा, जब तक कि वसूली राशि के 25% राशि का संदाय किये जाने का समाधानप्रद साक्ष्य उसके साथ नहीं लगा हुआ हो। ऐसी राशि, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि के विरूद्ध समायोज्य अथवा वापसी योग्य होगी।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) एक केन्द्रीय अधिनियम है, राज्य के लिए इसमें समयानूकूल कतिपय संशोधन के साथ सुधार करने की आवश्यकता है, इस संबंध में प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

(1) धारा 2 में, शब्द "ई–स्टाम्प अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प", "परिबद्ध", "बाजार मूल्य" "बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत" "स्टाम्प" आदि की परिभाषा, या तो परिभाषित नहीं है या स्पष्ट नहीं है, इसलिये, परिभाषित किया जाना आवश्यक है।

(2) धारा 35 में संशोधन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश के दिनांक से शास्ति का प्रावधान है तथा न्यूनतम शास्ति केवल 5 रूपये मात्र है, इससे प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होती है।

(3) धारा 40 में संशोधन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि धारा 35 के समान ही कमी शुल्क के प्रकरणों में धारा 40 के तहत् की जाने वाली कार्यवाही में भी एकसमान प्रावधान रखा जाना आवश्यक है। इस कारण से, धारा 40(ख) में कमी शुल्क पर ब्याज लिये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(4) धारा 45 (1) का लोप, इसलिए आवश्यक है, क्योंकि धारा 35 एवं 40 में शास्ति के स्थान पर, कमी शुल्क पर ब्याज का प्रावधान किया गया है। धारा 45(1) कमी शुल्क के प्रकरणों में शास्ति के लौटाये जाने से संबंधित है, जिसका औचित्य नही रहेगा।

(5) धारा 47क में संशोधन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि धारा 35 एवं धारा 40 में कमी शुल्क और शास्ति के स्थान पर कमी शुल्क पर ब्याज का प्रावधान किया गया है, धारा 47 भी न्यून मूल्यांकित लिखतों पर कार्यवाही से संबंधित है, अतः धारा 47क–(2) में भी कमी शुल्क पर ब्याज का प्रावधान किया गया है।

धारा 47क–(4) अपील के लिए प्रावधान हैं। कलेक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही अपील स्वीकार करने संबंधी प्रावधान किया गया है। यह इसलिए आवश्यक है कि कमी शुल्क के प्रकरणों पर शासन को तात्कलिक रूप से प्राप्त होने वाले राजस्व का संरक्षण किया जा सके।

(6) धारा 56 (4) में संशोधन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उपरोक्त धारा 47क–(4) के समान ही धारा 56 (4) भी पुनरीक्षण अपील से संबंधित है अतः तद्नुसार ही अपील हेतु कमी शुल्क की निर्धारित राशि जमा करने पर ही पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

जयसिंह अग्रवाल,
वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर
तारीख 14 जुलाई, 2023

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 2, धारा 35, धारा 40, धारा 45, धारा 47–क एवं धारा 56 का सुसंगत उद्धरण :–

धारा 2. परिभाषाएं :– इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो –

****

उपधारा (11) **सम्यक् रूप से स्टाम्पित**–"सम्यक् रूप से स्टाम्पित" से जब कि वह किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह अभिप्रेत है कि समुचित रकम से अन्यून रकम का आसंजक या छापित स्टाम्प उस लिखत पर लगा हुआ है, ऐसा स्टाम्प भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लगाया गया है;

उपधारा (12) **निष्पादित और निष्पादन**– "निष्पादित" और "निष्पादन" से जबकि उसका प्रयोग लिखतों के संबंध में किया गया है, "हस्ताक्षरित" और "हस्ताक्षर" अभिप्रेत है;

****

उपधारा (16–क) **"विपण्य प्रतिभूति"** से ऐसे प्रकार की प्रतिभूति अभिप्रेत है जो भारत के या यूनाइटेड किंगडम के किसी भी बाजार में बेचे जाने के योग्य है;

****

उपधारा (26) **स्टाम्प** – से कोई चिह्न, मुद्रा या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिये कोई आसंजक या छापित स्टाम्प भी है।

****

धारा **35. सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य आदि में अग्राह्य हैं:–** शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है किसी व्यक्ति द्वारा जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नही की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जायेगी :

परन्तु–

(क) कोई ऐसी लिखत जो शुल्क जिससे वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ–साथ पांच रूपये की शास्ति अथवा जब उसके उचित शुल्क या कमी वाले भाग के दस गुनी रकम, पांच रूपये से अधिके हो, तब ऐसे शुल्क या भाग के दस गुने के बराबर राशि दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

****

(घ) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात दंड प्रक्रिया संहिता,1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दांडिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किये जाने से निवारित नहीं करेगी;

****

धारा **40. परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलेक्टर की शक्ति :—**
(1) जबकि कलेक्टर किसी लिखत को, जो रसीद या विनिमय—पत्र या वचन—पत्र नहीं है, धारा 33 के अधीन परिबद्ध करता है या धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा—

(क) यदि उसकी राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथास्थिति सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसे लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ—साथ पांच रूपये की शास्ति अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम पांच रूपये से अधिक हो या कम हो, दी जाये :

परन्तु जबकि ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलेक्टर, ठीक समझता है, तो वह इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा।

***** ***

धारा **45. कतिपय मामलों में शास्ति या अतिरिक्त शुल्क वापस लौटा देने की राजस्व प्राधिकारी की शक्ति** :— (1) जहां कि धारा 35 या 40 के अधीन कोई शास्ति दी गई है, वहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उसके दिये जाने की तारीख के एक वर्ष के भीतर लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर ऐसी पूरी शास्ति को या उसका भाग वापस लौटा सकेगा।

***** ***

धारा **47क. न्यून मूल्यांकित लिखतों पर किस प्रकार कार्यवाही की जाएगी :—**
(1) यदि रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी किसी लिखत की रजिस्ट्री करते समय यह पाता है कि उस संपत्ति का, जो कि ऐसे लिखत की विषय—वस्तु है, बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम उपवर्णित किया है तो वह ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करने के पूर्व उसे ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेगा।

(1–क) जहाँ कि लिखत में दर्ज किया गया बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि बाजार मूल्य लिखत में सही–सही दर्ज नहीं किया गया है तो वह ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करेगा और उसके पश्चात् उसे ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, कलेक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, जांच करने के पश्चात् इस संपति का जो कि ऐसे लिखत की विषय–वस्तु है, बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण करेगा। शुल्क की रकम में अन्तर, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो।

(3) कलेक्टर, स्वप्रेरणा से, किसी ऐसी लिखत के जो कि उपधारा (1) के अधीन उसे पहिले ही निर्देशित न किया गया हो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर लिखत को मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, जिससे कि वह उस संपत्ति के, जो कि किसी ऐसे लिखत की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य के तथा उस पर देय शुल्क का सही होने के संबंध में स्वयं का समाधन कर सके और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी संपत्ति का बाज़ार मूल्य लिखत में सही–सही दर्ज नहीं किया गया है, तो वह उपधारा (2) में उपबंधित की गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण कर सकेगा। शुल्क की रकम में अंतर, यदि कोई, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो :

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात ऐसे लिखत 1 को लागू न होगी, जो कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ – संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया गया हो।

(3–क) इस धारा के अधीन जाँच के प्रयोजन के लिए, कलेक्टर को साक्षियों या उनमें से किसी को भी – जिनमें लिखत के पक्षकार भी सम्मिलित हैं, समन करने तथा हाजिर कराने की तथा उसी माध्यम से और जहाँ तक हो सके, उसी रीति में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम, 1908 का सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित है ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिए गए कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित रीति में आयुक्त को कर सकेगा जो या तो स्वयं अपील का विनिश्चय करेगा या उसे संभाग के अपर आयुक्त को अंतरित करेगा।

***** **

धारा 56. **मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का नियंत्रण और उसे मामले का कथनः–** (1) वे शक्तियाँ जो कलेक्टर द्वारा अध्याय 4 और अध्याय 5 के अधीन और धारा 26 के प्रथम परंतुक के खण्ड (क) के अधीन प्रयोक्तव्य हैं, सभी मामलों में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन होंगी।

(2) यदि धारा 31, धारा 40 या धारा 41 के अधीन कार्य करने वाले कलेक्टर को उस शुल्क की रकम के बारे में, जिससे कोई लिखत प्रभार्य है, कोई संदेह होता है, तो वह मामले का एक कथन बनायेगा और उसे अपनी राय सहित मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

(3) ऐसा प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति कलेक्टर को भेजेगा जो ऐसे विनिश्चय के अनुरूप शुल्क (यदि कोई हो) निर्धारित और प्रभारित करने की कार्यवाही करेगा।

(4) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी भी समय उस रकम के बारे में, जितनी रकम के शुल्क से वह लिखत प्रभार्य है, अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निपटाये गए किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे :

परंतु वह किसी आदेश में तब तक फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, जब तक संबंधित पक्षकार पर सूचना तामील न कर दी गई हो और उसे सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और भी कि पुनरीक्षण का कोई आवेदन–

(एक) इस अधिनियम के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा;

(दो) तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.